भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 794
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत रणनीतियाँ

794. श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने तथा सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी (जन भागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीतियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं;
(ख) इस संबंध में ग्राम पंचायतों को क्या सहायता प्रदान की गई है;
(ग) गंभीर रूप से जल-संकटग्रस्त या भूजल की कमी वाले राज्यों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल सुरक्षा में सुधार लाने और "डे जीरो" परिदृश्य को रोकने के लिए क्रियान्वित विशिष्ट और लक्षित हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में अब तक राज्य-वार कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, भारत सरकार अगस्त 2019 से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 22.07.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.44 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 22.07.2025 तक,

देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.94%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी तरह, मिशन की शुरुआत में, मध्य प्रदेश राज्य में केवल 13.53 लाख (12%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 21.07.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत 65.03 लाख से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 21.07.2025 तक, राज्य के 1.11 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 78.56 लाख (70.33%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी तरह, मिशन की शुरुआत में, महाराष्ट्र राज्य में केवल 48.44 लाख (33%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 21.07.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत 83.58 लाख से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 21.07.2025 तक, राज्य के लगभग 1.47 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 1.32 करोड़ (89.94%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसके शुभारंभ के बाद से, जल जीवन मिशन को एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्रामीण परिवारों को नियमित और सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत, गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) आदि को भी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है ताकि जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों को योजना बनाने, समुदायों को एकजुट और शामिल करने, सूचना का प्रसार करने तथा महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान की जा सके और उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।

ग्रामीण समुदायों में 'स्वामित्व और गौरव की भावना' लाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों, वनाच्छादित, जल की कमी वाले और 50% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों के मामले में गांव में अवसंरचना लागत के 5% की सीमा तक सामुदायिक योगदान के लिए प्रावधान किया गया है और शेष गांवों में 10% तक सामुदायिक योगदान के लिए प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, स्थानीय ग्राम समुदाय को योजना बनाने, कार्यान्वयन में अपनी भूमिका निभाने और संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है ताकि उन्हें व्यापक कौशल प्रदान किया जा सके और "नल जल मित्र" के रूप में तैयार किया जा सके, ताकि वे योजना ऑपरेटरों के रूप में कार्य कर सकें तथा मामूली मरम्मत और अनुरक्षण करने में सक्षम बन सकें, जिसमें कुशल राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर आदि के रूप में उनके गांव में पाइपगत जलापूर्ति स्कीम (स्कीमों) का निवारक रखरखाव शामिल है।

वीएपी तैयार करते समय, आरएलबी/पीआरआई, जेजेएम, एसबीएम (जी), मनरेगा, एमपी/एमएलए-स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि (डीएमडीएफ), सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सामंजस्य सर्वोपरि है। दीर्घावधि में, यह आशा की जाती है कि ग्राम समुदाय गांव की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का सामंजस्यता के साथ उपयोग करेगा।

(ग) और (घ) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर एंड जीआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जल राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार राज्य के प्रयासों में सहायता के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) और कृत्रिम पुनर्भरण के लिये मास्टर प्लान (2020) जैसी पहलें वर्षा जल संचयन संरचनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करती हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भूजल उपयोग को नियंत्रित करता है और स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करता है। इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून अधिनियमित करने में सक्षम बनाने के लिए एक मॉडल बिल परिचालित किया है जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया और कार्यान्वित किया है।

सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं को भी कार्यान्वित किया है। हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि सुरक्षित मूल्यांकन इकाइयों में वृद्धि और अति-शोषित इकाइयों में कमी के साथ समग्र भूजल निष्कर्षण 2017 में 63.33% से घटकर 2024 में 60.47% रह गया है। महाराष्ट्र में भूजल निगरानी से यह पता चलता है कि 76% कुओं में मानसून 2024 के बाद जल स्तर में वृद्धि देखी गई, जो भूजल स्थिरता में प्रगति को दर्शाती है। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में निगरानी किए गए कुओं में से लगभग 71% कुओं में जल स्तर में वृद्धि देखी गई है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) महाराष्ट्र सहित देश भर में प्रत्येक वर्ष में चार बार भूजल स्तर की निगरानी करता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों के साथ मिलकर डीओडब्ल्यूआर & जीआर भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का वार्षिक मूल्यांकन करता है।

इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान का उद्देश्य देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों में 2019 में लोगों की भागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, विशेष रूप से पेयजल उपलब्धता के लिए स्थायी जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए, जेएसए-सीटीआर को 2023 में "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ कार्यान्वित किया गया था। इसी तरह, 2024 में, जेएसए को "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय के साथ कार्यान्वित किया गया था और 2025 में, जेएसए को "जल संरक्षण के लिए जन कार्रवाई - गहन सामुदायिक सहबद्धता की ओर" विषय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में समुदाय विशेष रूप से महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है।

जेएसए: सीटीआर में मनरेगा; अमृत; मरम्मत, नवीकरण और बहाली योजना; जल संभर विकास योजना; प्रति बूंद अधिक फसल आदि जैसे सभी विकास कार्यक्रमों का अंतर-क्षेत्रीय सामंजस्य शामिल है। जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.nic.in) पर विभिन्न हितधारकों द्वारा अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, अब तक पानी से संबंधित लगभग 1.87 करोड़ कार्य किए गए हैं, लगभग 13 लाख पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण किया गया है/नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है और जेएसए: सीटीआर अभियान के तहत लगभग 78 लाख वाटरशेड संरचनाएं तैयार की गई हैं।

इसके अलावा, जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल शुरू की गई हैं। देश भर में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को निम्न वेब-लिंक पर देखा जा सकता है https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf।

*****